झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfohazwest@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक :- 584 दिनांक :- 06/2/18

सेवा में,

Chief Project Manager,
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited,
18/N Ground Floor, Block – A, New Alipor,
Kolkata, West Bengal – 700053

विषय :– डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर द्वारा दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर सेक्सन निर्माण पूर्वी डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर के तहत कोडरमा Detour (PPP Mode) से हजारीबाग जिला (Detour Section) के निर्माण हेतु 204.029 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल– 121.229 हे0, हजारीबाग वन्य प्राणी प्रमंडल– 82.80 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक KKK/EN/ Forest / Hazaribagh/173/1814 दिनांक 29.01.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक 2690 दिनांक 18.05.2016 द्वारा उठाये गये त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन यथा संशोधित प्रस्ताव ऑन लाईन दिनांक 29.01.2018 को समर्पित किया गया है तथा ऑफ लाईन संशोधित प्रस्ताव (Hard Copy) सभी प्रतियों में दिनांक 30.01.2018 को समर्पित किया गया है।

समर्पित प्रस्ताव संख्या FP/ JH/ RAIL/ 18720/ 2016दिनांक 29.01.2018 के अवलोकनोपरान्त एवं जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जो निम्नवत हैं :–

(1) प्रस्ताव के साथ समर्पित मौजा कैडस्ट्रल मैप में फ्रेट कोरीडोर निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि को मानचित्र पर चिन्हित कर नहीं दर्शाया गया है, जिसके फलस्वरूप अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के रकवा का सत्यापन / जांच संभव नहीं है । साथ ही समर्पित भूमि अनुसूची में प्रत्येक मौजा के सामने अंकित रकवा एकड में दशमलव के बाद तीन अंक तक दिखलाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । एकड में रकवा दशमलव के बाद दो ही अंक होना चाहिए ।

(2) प्रस्ताव के साथ संमर्पित लागत–लाभ विशलेषण प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि प्रतिवेदन के Table- C, Sl. No. 5 "Economic benefits due to Compensatory afforestation" में किये गये गणना का आधार त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि Compensatory afforestation की राशि की गणना NPV rate प्रति हेक्टेयर के आधार पर किया गया है जबकि इसका आधार क्षतिपूरक वनरोपण योजना के तहत वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले 10 वर्षीय योजना का प्रति हे0 दर (सामग्री +मजदुरी) होना चाहिए। इसी तरह लागत लाभ विशलेशन के Table- B, Sl. No. 8 में भी सुधार अपेक्षित है।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में प्रस्ताव में सन्नहित 0.311 एकड़ गैर मजरूआ जंगल झाडी भूमि के लिए उपायुक्त, हजारीबाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था । संशोधित प्रस्ताव में 0.446 एकड़ गैर मजरूआ जंगल झाडी भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अतएव अतिरिक्त 0.135 एकड़ गैर मजरूआ जंगल झाडी भूमि के उपयोग के लिए उपायुक्त, हजारीबाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

(4) प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाली गैर वन भूमि जिसका रकवा प्रस्ताव में 7.138 हे0 उल्लेखित है का विस्तृत भूमि विवरणी संलग्न नहीं है।

(5) प्रस्ताव के साथ हजारीबाग वन्य प्राणी क्षेत्राधीन पडनेवाले मौजा में प्रभावित होने वाले वृक्षों का गणना सूची समर्पित किया गया है। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल क्षेत्राधीन पडनेवाले मौजा में कराये गए गणना का गणना सूची समर्पित नहीं किया गया है। यदि प्रयोक्ता संस्थान को Sampling Method से गणना सूची तैयार करनी है, तब प्रत्येक ग्राम में अपयोजित होने वाली वन भूमि का Representative Site गणना सूची के लिये चुना जाये तथा जिस Method से Sampling किया जायेगा उसे भी स्पष्ट रूप से वर्णित करें।

(6) प्रस्ताव 204.025 हे0 वन भूमि के अपयोजन हेतु समर्पित किया गया है जिसमें से बतलाया गया है कि 153.603 हे0 का FRA , NOC प्राप्त है। प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 1654 दिनांक 13.12.2017 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग को FRA, NOC के लिए अनुरोध किया गया है। जांचोपरान्त पाया गया है कि अवशेष भूमि जिसका FRA, NOC प्राप्त करना है, वो 50.426 हे0 होना चाहिए किन्तु उपायुक्त, हजारीबाग से 78.141 हे0 भूमि के FRA, NOC के लिए आवेदन किया गया है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कृपया स्पष्ट किया जाय।

अतः प्रस्ताव मूल रूप में सभी प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन/ संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ह०) 06/2/18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

(ह०) 06/2/18